



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

श्री केशाराम भडनावा,
द्वारा जगदम्बा एज्युकेशन अकादमी,
बाड़मेर।

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय/2014/आर-350/303234

दिनांक : 2-4-2014


विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना भेजने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र दिनांक 26.06.2012 के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सम/9501 दिनांक 04.10.2012 में लिपिकीय त्रुटि होने के कारण उक्त पत्र को निरस्त किया जाता है तथा वंछित संशोधित सही सूचना निम्न प्रकार है:-

प्र. स.	प्रश्न	उत्तर
1.	बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्युकेशन, मध्यभारत, ग्वालियर द्वारा उत्तीर्ण हाई स्कूल एवं इन्टरमिजियट विद्यार्थी आपके विश्वविद्यालय में प्रवेश के पात्र है अथवा नहीं।	बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्युकेशन, मध्यभारत, ग्वालियर द्वारा उत्तीर्ण हाई स्कूल एवं इन्टरमिजियट विद्यार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं हैं।

भवदीय



कुलसचिव

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय/2014/आर-350/303235/36

दिनांक : 2-4-2014

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :-

1. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को उनके पत्र संख्या आर-350 दिनांक 3.07.2012 के सन्दर्भ में।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।


सहायक कुलसचिव